

17/04/23

सहायक फलदार
पत्रावली पेशा हुंडी वकील वादी उपस्थित
वादी द्वारा तहसीलदार काबाड, अयपुर से
प्राप्त कुरैआत रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की
तथा No objection अंकित किया गया तथा
अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।
वाद में आदेशिका दिनांक 24/05/22 में
प्रति संख्या 01 ल. 10, 11/1, 11/2 ल. 13,
15 ल. 18 बावजूद तामिल उपस्थित न
होने तथा तामिल के एक माह से अधिक
समय होने के कारण एक परीच कार्यवाही
अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में

आज्ञा कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

किसी भी पत्रकार द्वारा कुर्रैजात पर आज दिनांक तक आपत्ति पेश नहीं की गई है अतः तहसीलदार (श्रु. म.) कालवाड, भयपुर के प.क्रं. LR/23/257, दिनांक 20/01/23 के द्वारा प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अन्तिम डिक्ली जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं प्रकरण में तहसीलदार, कालवाड, भयपुर के पत्र LR/23/257 दिनांक 20/01/23 के अनुसार अन्तिम डिक्ली जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फैसल शुमार होकर काखिल दफ्तर हो। निर्णय आद दिनांक 17/04/23 की खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Mansif.

निहायत कलवाड
भयपुर शहर प्रकरण